न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 88/2025
अनवानः शलेन्द्र गर्ग बनाम रजनीश गर्ग आदि
प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी

तारीख रजू 08.10.2025
--निर्णय-- दिनांक : 31.10.2025

1. संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया, कि प्रकरण संख्या 63/2025, अनवान शलेन्द्र गर्ग बनाम रजनीश गर्ग आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में दिनांक 06.10.2025 को जवाब उल जवाब सामिल मिसल करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अनुमति बाबत् पेश किया गया था। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का जवाब पेश ना करके आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी वास्ते आदेश दिनांक 07.10.2025 मुर्करर की गई। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा सहवन से दिनांक 07.10.2025 को आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के आदेश के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का भी आदेश पारित कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान प्रकरण में संशोधन करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पारित आदेश को निरस्त कर पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की बहस हेतु नियत किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करे। नकल प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलाई गई।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार धारा 151, 152 सीपीसी पेश कर अर्ज किया कि दिनांक 06.10.2025 को न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एंव प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किये गये है। धारा 151, 152 सीपीसी के प्रावधान उस निर्णय पर लागू होता है, यदि निर्णय में कोई लिपिकीय भूल हो गई होती। जबकि ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है, ऐसी सूरत में धारा 151, 152 सीपीसी के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।
3. हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अनवान प्रकरण में संशोधन करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 को निरस्त कर पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की बहस हेतु नियत किये जाने हेतु आदेश प्रदान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किए जाने बाबत अर्ज किया।

4. हमने अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण संख्या 63/2025, अनवान शलेन्द्र गर्ग बनाम रजनीश गर्ग आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय दिनांक 07.10.2025 का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन-निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी" परन्तु प्रकरण संख्या 63/2025, अनवान शलेन्द्र गर्ग बनाम रजनीश गर्ग आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के निर्णय दिनांक 07.10.2025 में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। जबकि उक्त अनवान प्रकरण 63/2025 की पत्रावली दिनांक 03/09/2025 से 06.10.2025 तक बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में विचाराधीन थी। दिनांक 06.10.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी पेश किया। जिसका अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु अर्ज किया। न्यायालय द्वारा सीधे बहस सुनी गई। परन्तु न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 06.10.2025 में सहवन से यह लिखा जाने से रह गया कि बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई। अतः प्रकरण संख्या 63/2025, अनवान शलेन्द्र गर्ग बनाम रजनीश गर्ग आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की आदेशिका दिनांक 06.10.2025 में बहस प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई, पढे जाने के आदेश दिए जाते है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रार्थना पत्र 151, 152 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी अपने अनुतोष के लिए अपीलीय न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी भली-भाति साबित नहीं होने एंव सारहीन होने पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। आदेश प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)